

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 478 /2021 दिनांक : 10.02.2021

श्री अनीश दाधीच (RJ0298), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, झालावाड़ को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 23.11.2020 से 24.11.2020 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश ।
2. दिनांक 25.11.2020 से 08.12.2020 तक 14 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) ।
3. दिनांक 09.12.2020 से 11.12.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश ।

श्री दाधीच की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, झालावाड़ / अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, झालावाड़ के पद पर ही की गई ।


आज्ञा से

10/2/2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/01/2000/ 1558

दिनांक : 10.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, झालावाड़ को उनके पत्रांक 16 दिनांक 29.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनीश दाधीच (RJ0298), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, झालावाड़ ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, झालावाड़ ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ ।


सहायक रजिस्ट्रार